

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA.No. 42 /2022.

No.2022/ACII/2/1

New Delhi dated 12.8.2022.

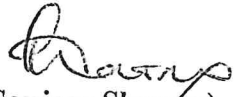
1. General Managers/ PFA etc (As per Standard list I).
2. All Attached Offices/ Subordinate Offices (As per standard list II)

Sub: Revised Codal life of Assets.

Kindly refer to para 219 of Indian Railway Finance Code, Vol-1, detailing the normal life of various assets. In this regard proposals received from Electrical Dte and Mechanical Dtes for revision of codal life of certain assets have been examined by the multidisciplinary Executive Director's Committee set up in Railway Board for this purpose and their recommendations have been accepted by Board.

Accordingly, Advance Correction Slip No. 93 amending Para 219, Indian Railway Finance Code Vol-I is placed below for information and necessary action.(Codal life of other items not covered in the ACS will remain as per latest extant instructions for those items).

Encl: As above.


(Sanjeev Sharma)
OSD/Accounts
Railway Board

Copy to :

1. Advisor/MR, OSD/MROSD/Co-ord/ MR, Additional PS/MR
2. DyC&AG of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi (with 45 spare copies).
3. GM/ Const/NFR, CAO/CE (Const)/All Indian Railways.
4. PED/A, PED/CE/Planning, PED/EE (Development), EDME/Freight and ED/Signal
5. ACI(Comp), ACIII(6 copies), ACI V, Code revision, Accounts Inspection, Account Appropriation, Finance (Budget).

R.No 419A, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi- 110001

Advance Correction Slip No. 93 .

Indian Railway Finance Code- Volume I (1998) Para 219

1. Replace the existing class of assets and their average life in the table given under Para 219, Indian Railway Finance Code-Volume I as under:
2. Codal life of other items not covered in this ACS will remain as per extant instructions for those items.

(iii) Electrical Assets

S.No	Existing Class of assets	Average life	Remarks
24	(a) Coach wiring (old).	12	Actual replacement shall be based on condition of the asset
	(b) Coach wiring (e beam)	18	Actual replacement shall be based on condition of the asset
27	Carriage fan	10	Actual replacement shall be based on condition of the asset

B) Equipments required for replacement through DRF/ Sinking Fund:

1	AC EQUIPMENT		
(i)	25 KVA Inverter	15	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(ii)	AC Control Panel	15	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(iii)	Inverter Panel	15	Actual replacement shall be based on condition of the asset
2	TL POWER EQUIPMENTS		
(i)	4.5/25 KW Alternator	12	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(ii)	800A.H.L.A.Battery	Delete	
(ii)	1100 AH VRLA (SMF) Battery	4.5	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(iii)	Diesel Engine for Power Cars	(i) 20 years for those assets which have completed less than 10 years (ii) 16 yrs for those assets which have completed over 10 years	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(iv)	Alternator for Power Car		

Basu

05-12

C) Equipments required for replacement through Revenue:

S.No	Existing Class of assets	Average life	Remarks
2. AC Equipment			
(i)	Compressor ACCEL/CARRIER	Deleted	
(ii)	Sealed Compressor KCL make	Deleted	
(iii)	Sealed Compressor Maneurope make	Deleted	
(iv)	Compressor Motor DC	Deleted	
(v)	Compressor Motor AC	Deleted	
(vi)	Condenser Fan Motor (DC)	Deleted	
(vii)	Condenser Fan Motor (AC)	Deleted	
(viii)	Condenser Fan Motor (RMPU)	12	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(ix)	Evaporator Fan Motor (AC)	Deleted	
(x)	Evaporator Fan Motor (DC)	Deleted	
(xi)	Evaporator Fan Motor (RMPU)	12	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(xii)	Compressor (Scroll)	12	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(xiii)	Condenser fan	12	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(xiv)	Condenser Unit	Deleted	
(xv)	Condenser Unit (RMPU)	12	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(xvi)	Evaporater unit	Deleted	
(xvii)	Evaporater unit (RMPU)	12	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(xviii)	Mercury in glass thermostat	Deleted	

[Signature]

S.No	Existing Class of assets	Average life	Remarks
(xix)	Evaporator Blower Drum	12	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(xx)	Microprocessor Controller	12	Actual replacement shall be based on condition of the asset
3	TL / POWER EQUIPMENT		
(i)	4.5/25 KW alternator regulator	12	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(ii)	Emergency 90 AH VRLA (SMF) Battery	4	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(iii)	120 AH VRLA (SMF) Batteries	4.5	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(iv)	290 AH starting L.MLA Batteries for Power Car	4	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(v)	70 AH VRLA Batteries	4.5	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(vi)	Power Car Power Panel	15	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(vii)	Power Panel (AC coaches)	15	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(viii)	Pre Cooling cum battery charging transformer rectifier unit	12	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(ix)	50 KVA/60KVA (750/415 V) transformer unit	15	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(x)	3 KVA 415/190 V transformer	Deleted	
(xi)	15KVA, 9KVA, 5KVA, 3KVA coach transformer and control metering transformers (1KVA, 500VA, 250 VA, 200VA, 100VA)	15	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(xii)	Water Raising Apparatus (WRA)	5	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(xiii)	Water Boiler for Pantry	5	Actual replacement shall be based on condition of the asset

[Signature]

P.T.O

S.No	Existing Class of assets	Average life	Remarks
(xiv)	Hot Case for Pantry	5	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(xv)	Bottle Cooler cum deep freezer	5	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(xvi)	Ventilation Blower Motor for Power Car	12	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(xvii)	Radiator for Power car	15	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(xviii)	Radiator Motor for Power Car	15	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(xix)	Pump controller	12	Actual replacement shall be based on condition of the asset
(xx)	I.V. Coupler 400A/500A	18	Actual replacement shall be based on condition of the asset

(IV) MECHANICAL ASSETS

S.No	Existing Class of assets	Average life	Remarks
12	Station machinery like weighing machines etc	15	Actual replacement shall be based on condition of the asset

Authority Railway Board's letter no. 2022/ACII/2/1 dated 12.8.2022.



भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board

आरबीए सं. 42/2022

सं.2022/एसी॥2/1

नई दिल्ली दिनांक 12.8.2022

1. महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार आदि (मानक सूची I के अनुसार)।
2. सभी संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय (मानक सूची II के अनुसार)

विषय: परिसंपत्तियों की संशोधित जीवट आयु।

कृपया भारतीय रेल वित्त संहिता, जिल्द-1 पैरा 219 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें विभिन्न परिसंपत्तियों की जीवट आयु का विवरण दिया गया है। इस संबंध में कुछ परिसंपत्तियों की जीवट आयु में संशोधन के लिए बिजली निदेशालय और यांत्रिक निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों की रेलवे बोर्ड में इस उद्देश्य के लिए गठित बहु विषयक कार्यपालक निदेशकों की समिति द्वारा जांच की गई है और उनकी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

तदनुसार, भारतीय रेल वित्त संहिता के पैरा 219 को संशोधित करते हुए अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 93 सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए नीचे दी गई है। (अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या में शामिल न की गई अन्य मदों की जीवट आयु उन मदों के लिए नवीनतम मौजूदा अनुदेशों के अनुसार रहेगी।)

संलग्न : यथोक्त।



(संजीव शर्मा)

विशेष कार्य अधिकारी/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सलाहकार/रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/रेल मंत्री विशेष कार्य अधिकारी/समन्वय/रेल मंत्री, अपर निजी सचिव/रेल मंत्री
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (45 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।
3. महाप्रबंधक/निर्माण/पूर्वोत्तर सीमा रेल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/सिविल इंजीनियरी (निर्माण)/सभी भारतीय रेलें।
4. प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा, प्रधान कार्यपालक निदेशक/ सिविल इंजीनियरी/योजना, प्रधान कार्यपालक निदेशक/बिजली इंजीनियरी (विकास), कार्यपालक निदेशक यांत्रिक इंजीनियरी/मालभाड़ा और कार्यपालक निदेशक/सिगनल
5. लेखा I (संकलन), लेखा III (6 प्रतियाँ), लेखा IV, संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण, लेखा विनियोग, वित्त (बजट)।

1. भारतीय रेल वित्त संहिता - जिल्द I के पैरा 219 के अंतर्गत दी गई तालिका में मौजूदा परिसंपत्तियों की श्रेणी और उनकी औसत आयु को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:
2. इस अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या में शामिल न की गई अन्य मदों की जीवट आयु उन मदों के लिए नवीनतम मौजूदा अनुदेशों के अनुसार रहेंगी।

(iii) बिजली परिसंपत्तियां

क्र.सं.	परिसंपत्तियों की मौजूदा श्रेणी	औसत आयु	टिप्पणियां
24	(क)कोच की वायरिंग (पुरानी)	12	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
	(ख)कोच की वायरिंग (ई बीम)	18	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
27	सवारी डिब्बों के पंखे	10	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।

ख) डीआरएफ/सिंकिंग निधि के माध्यम से प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित उपस्कर:

1	एसी उपस्कर		
(i)	25 केवीए इन्वर्टर	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(ii)	एसी नियंत्रण पैनल	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(iii)	इन्वर्टर पैनल	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
2	टी एल पावर उपस्कर		
(i)	4.5/25 किवाँ ऑल्टरनेटर	12	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(ii)	800 ए.एच.एल.ए. बैटरी	हटा दिया जाए	
(ii)	1100 एच वीआरएलए (एसएमएफ) बैटरी	4.5	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(iii)	पावर यानों के लिए डीज़ल इंजन	(i)जिन परिसंपत्तियों ने 10 वर्ष से कम	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।

(iii)	पावर यान के लिए ऑल्टरनेटर	पूरे कर लिए हैं, उनके लिए 20 वर्ष (ii) जिन परिसंपत्तियों ने 10 वर्ष से अधिक पूरे कर लिए हैं, उनके लिए 16 वर्ष	
-------	------------------------------	---	--

ग) राजस्व के माध्यम से प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित उपस्कर:

क्र.सं.	परिसंपत्तियों की मौजूदा श्रेणी	औसत आयु	टिप्पणियां
2. एसी उपस्कर			
(i)	कंप्रेसर एसीसीईएल/कैरियर	हटा दिया गया	
(ii)	सीलबंद कंप्रेसर केसीएल मेक	हटा दिया गया	
(iii)	सीलबंद कंप्रेसर मैनयूरोप मेक	हटा दिया गया	
(iv)	कंप्रेसर मोटर डीसी	हटा दिया गया	
(v)	कंप्रेसर मोटर एसी	हटा दिया गया	
(vi)	कंडेंसर फैन मोटर (डीसी)	हटा दिया गया	
(vii)	कंडेंसर फैन मोटर (एसी)	हटा दिया गया	
(viii)	कंडेंसर फैन मोटर (आरएमपीयू)	12	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(ix)	इवैपरेटर फैन मोटर (एसी)	हटा दिया गया	
(x)	इवैपरेटर फैन मोटर (डीसी)	हटा दिया गया	
(xi)	इवैपरेटर फैन मोटर (आरएमपीयू)	12	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(xii)	कंप्रेसर (स्करोल)	12	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(xiii)	कंडेंसर फैन	12	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(xiv)	कंडेंसर यूनिट	हटा दिया गया	
(xv)	कंडेंसर यूनिट (आरएमपीयू)	12	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(xvi)	इवैपरेटर यूनिट	हटा दिया गया	

(xvii)	इवैपरेटर यूनिट(आरएमपीयू)	12	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(xviii)	ग्लास थर्मोस्टैट में मर्क्युरी	हटा दिया गया	
(xix)	इवैपरेटर ब्लोअर ड्रम	12	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(xx)	माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलर	12	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
3	टीएल/पावर उपस्कर		
(i)	4.5/25 किलोवॉट ऑल्टरनेटर रेगुलेटर	12	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(ii)	आपातकालीन 90 एएच वीआरएलए (एसएमएफ) बैटरी	4	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(iii)	120 एएच वीआरएलए (एसएमएफ) बैटरी	4.5	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(iv)	पावर कार के लिए 290 एएच स्टार्टिंग एल.एमएलए बैटरियां	4	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(v)	70 एएच वीआरएलए बैटरी	4.5	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(vi)	पावर कार पावर पैनल	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(vii)	पावर पैनल (एसी डिब्बे)	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(viii)	प्री कूलिंग कम बैटरी चार्जिंग ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर यूनिट	12	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(ix)	50 केवीए/60 केवीए (750/415 वी) ट्रांसफॉर्मर यूनिट	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(x)	33 केवीए 415/190 वी ट्रांसफॉर्मर	हटा दिया गया	
(xi)	15 केवीए, 9 केवीए, 5 केवीए, 3 केवीए कोच ट्रांसफार्मर और कंट्रोल मीटरिंग ट्रांसफॉर्मर (1 केवीए, 500 वीए, 250 वीए, 200 वीए,	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।

	100 वीए)		
(xii)	वाटर रेंजिंग एपरेटस (डब्ल्यू आर ए)	5	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(xiii)	पैंटरी के लिए वाटर बॉयलर	5	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(xiv)	पैंटरी के लिए हॉट केस	5	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(xv)	बॉटल कूलर कम डीप फ्रीज़र	5	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(xvi)	पावर कार के लिए वेंटिलेशन ब्लोअर मोटर	12	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(xvii)	पावर कार के लिए रेडिएटर	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(xviii)	पावर कार के लिए रेडीएटर मोटर	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(xix)	पंप कंट्रोलर	12	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
(xx)	आईवी कपलर 400ए/500ए	18	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।

(IV) यांत्रिक परिसंपत्तियां

क्र.सं.	परिसंपत्तियों की मौजूदा श्रेणी	औसत आयु	टिप्पणियां
12	तौल मशीनों आदि जैसी स्टेशन मशीनरी	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।

प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 12.8.2022 का पत्र सं. सं.2022/एसी॥/2/1